न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–04, गाजीपुर।

{**उपस्थितः** श्री दुर्गेश. (एच0 जे0 एस0)}
जे.ओ.कोड यू.पी.1626.

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2541/2022.

सी.एन.आर.नं. यू.पी.जी.एच.01–005249–2022.

मनीष कुमार पुत्र सुबेदार राम।
निवासी ग्राम इब्राहिमपुर, थाना भुड़कुड़ा, जनपद गाजीपुर।

––––––प्रार्थी/अभियुक्त.

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य बजरिये जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, गाजीपुर।

––––––विपक्षी.

अपराध संख्या–211/2022.
धारा–399 व 401 भा0 दं0 सं0.
थाना–शादियाबाद।
जनपद–गाजीपुर।

अधिवक्ता अभियुक्त– श्री सुरेन्द्र कुमार गौतम.
अधिवक्ता राज्य– श्री शशि कान्त सिंह,
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)

दिनांक 20.10.2022.

1. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

2. मु0 अ0 सं0 211/2022, अन्तर्गत धारा 399 व 401 भा0 दं0 सं0, थाना शादियाबाद, जिला गाजीपुर के प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह अभिकथन किया गया कि वह बिल्कुल निर्दोष है। उसने उपरोक्त प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। उसे गांव की पार्टीबन्दी के कारण झूठा फंसाया गया है। वह घटना स्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा स्वयं को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

3. वहीं दूसरी ओर अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 01.10.2022 को उप निरीक्षक श्री अभिराज सरोज अपने सह पुलिस कर्मियों के साथ देखभाल क्षेत्र में परेवा नहर पुलिया पर थे कि उन्हें जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि परवा नहर से बैरमपुर जाने वाले नहर पटरी मार्ग पर 03 व्यक्ति चोरी की योजना बना रहे हैं। इस पर विश्वास कर जब वादी नहर की ओर बढ़े तो मुल्जिमान

पुलिस को देखकर भागने लगे कि उन्हें वहीं पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम क्रमशः मनीष कुमार, राजन राजभर व राहुल भारद्वाज बताये। उनकी जामतलाशी लेने पर मनीष कुमार के दाहिने हाथ के झोले से चोरी करने का उपकरण हथौड़ा व जेब से मोबाईल आदि बरामद हुआ । राजन राजभर की जमातलाशी से उसके जेब से वीवो मोबाईल बरामद हुई तथा राहुल भरद्वाज की जामातलाशी से ओपो मोबाईल उसके पैण्ट के दाहिने जेब से बरामद हुआ। पूछने पर उन्होंने बताया कि वे मिलकर विजय प्राईवेट आई0 टी0 आई0 बढ़नपुर के स्कूल में आफिस का ताला तोड़कर मोबाईल, प्रिण्टर, 8500/—रूपये नकद आदि चोरी किये थे। प्रिण्टर को उन्होंने राहुल राजभर के घर पर होना बताया। उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त व 02 अन्य के विरूद्ध वांछित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 01.10.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध होना कहा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के भाग जाने या साक्षियों को प्रभावित किये जाने के सम्बन्ध में कोई युक्ति युक्त तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र थाने से प्रेषित किया जा चुका है। कोई विवेचना शेष नहीं है। घटना का कोई जनता का गवाह नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है।

6. अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

1. अभियुक्त मनीष कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा 50,000/—रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत किया जाये।
2. अभियुक्त न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेगा तथा जिस तिथि पर साक्षी न्यायालय में उपस्थित होगें, उस दिन कोई भी स्थगन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. अभियुक्त साक्ष्य अथवा साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा।

(दुर्गेश),
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या—04,
गाजीपुर।